न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/58/2020
प्रवेश तिथि 10.11.2020

अपीलार्थी
श्री भागीरथ यादव पुत्र श्री शुभराम यादव,
निवासी ग्राम पोस्ट– कारोड़ा, बहरोड़,
तहसील बहरोड़ जिला–अलवर राज0।

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 16.12.2020

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 06.10.2020 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से दिनांक 25.09.2019 से दिनांक 30.11.2019 तक डिस्पेच रजिस्टर (पत्र आवक–जावक) की प्रमाणित प्रतियां एवं कार्यालय में तैनात कार्मिकों की सूची (प्रत्येक कार्मिक द्वारा संधारित किया जाने वाला कार्य) सहित सूचना उपलब्ध कराने बाबत अनुरोध किया गया था।
5. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 06.10.2020 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 05.11.2020 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2020/397–98 दिनांकः 10.11.2020 के माध्यम से तलब कर दिनांकः 19.11.2020 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। जवाब अप्राप्त होने पर स्मरण पत्रांक 424–25 दिनांक 19.11.2020 के माध्यम से जवाब तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। प्रत्यर्थी की आरे कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही अपीलार्थी उपस्थित आया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक लोक सूचना/2020/529–30 दिनांक 25.11.2020 से जवाब अपील पेश किया गया जो अभिलेख पर लिया गया।
8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 06.10.2020 के क्रम में पत्रांक लोकसूचना/19/529–30 दि. 25.11.2020 के संलग्नक पत्रांक

P.T.O

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

(2)

लोक सूचना/2020/453 दि0 13.10.2020 एवं पत्रांक 520 दि0 18.11.2020 के माध्यम से अधिनियम की धारा 7(1) में वर्णित निर्धारित समयावधि में विनिश्चय किया जाकर सूचित किया गया है।

9. उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों पर अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावें।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)